मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

E-mail-pomphcindore@gmail.com*Contact No. 0731-2528555 Fax 2527609

::–'द्वितीय' संक्षिप्त निविदा::

क्रमांक 3060/2024 दिनांक 25/10/2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/7133/2024 जबलपुर दिनांक 01/10/2024 के द्वारा म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की विभिन्न वर्षो की विनिष्टीकृत रद्दी को विक्रय करने के लिए इस कार्यालय के रिकार्डरूम की विनिष्टीकृत रद्दी के टुकडे करारक विक्रय करने के लिए ई–निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 12/11/2024 समय 02:00 बजे तक निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फर्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता–श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर म0प्र0 पिनकोड–452001) से आमंत्रित किये जाते है।

1– कार्यालयीन समय में विनिष्टीकृत रद्र्दी का अवलोकन हेतु इच्छुक फर्म (ई–निविदा संलग्न) रूपये 1,000/– नगद जमा कर निविदा की पूर्ति कर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता–श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर पिनकोड–452001) के माध्यम से दिनांक 12/11/2024 दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।

2– वर्तमान में विनिष्टीकृत रद्दी की मात्रा **लगभग 1500 क्विंटल है**। निविदाकर्ता द्वारा म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के प्रोटोकॉल सेक्शन में उपस्थित होकर रद्दी का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस के कार्यालयीन समय में सरल क्रमांक (1) अनुसार राशि जमा कर सकते है।

3– निविदा प्रस्तुत करने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के केश सेक्शन में रूपये 50,000/– अर्नेस्ट मनी श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के नाम से नगद (केश सेक्शन) में अथवा बैंक ड्राफ्ट से जमा करानी होगी, प्राथमिकता वाले चयनित निविदाओं को छोड़कर शेष निविदाकाओं की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जावेंगी।

4– सफल विविदाकार के द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर शेष (2) की राशि को वापस कर दी जावेगी।

5– सफल निविदाकर्ता को रद्दी उठाने से पहले अनुमानित राशि का 80% राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा चालान के माध्यम से इस कार्यालय के केश सेक्शन में जमा करनी होगी।

6– इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे की रसीद अनुसार शेष राशि तत्काल कैश में जमा करनी होगी।

7– विगत वर्षो की विनिष्टीकृत रद्दी की दर पूर्व में तीन वर्षो की स्वीकृत अधिकतम दर अुनसार, गठित समिति द्वारा अपनी अनुशंसा की जाकर श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी।

8– दिनांक 13/11/2024 को दोपहर 2:00 बजे गठित समिति इन्दौर के समक्ष समस्त निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, ताकि सभी निविदायें समक्ष में खोली जाकर अंतिम रूप से अधिकतम दर वाली समक्ष निविदाकार की निविदा स्वीकार करने की कार्यवाही की जावेगी।

9– विभागीय गठित समिति द्वारा ई–निविदा की प्राथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता प्राप्त निविदायें खोली जाकर अंतिम रूप से उचित दर वाली सक्षम निविदाकर की निविदा स्वीकार करने की अनुशंसा श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार इन्दौर को प्रेषित की जावेगी तथा अनुमोदन उपरांत 10 कार्यदिवस में विनिष्टिकृत रद्दी क्रय कर न ले जाने पर प्रथम वरीयता प्राप्त निविदाकार का अवसर समाप्त कर अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुए द्वितीय वरीयता प्राप्त तथा इसी क्रम में असफल रहने पर पुनः अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुए तृतीय वरीयता प्राप्त निविदाकार को विनिष्टीकृत रद्दी क्रय कर ले जाने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

10– विनिष्टीकृत रद्दी को कार्यालय समय में टुकड़े कर रद्दी प्राप्त कर समूची रद्दी बोरे में भरकर इलेक्ट्रॉनिक तौल अनुसार देय विक्रय मूल जमा करने का तत्काल उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा, विनिष्टीकृत रद्दी विक्रय होने व सम्पूर्ण राशि जमा पश्चात् शेष द्वितीय एवं तृतीय वरीयता प्राप्त निविदाओं के निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस की जावेगी।

11– स्वीकृत निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात की जाकर कोषालय में जमा करा दी जावेगी।

12– प्रशासकीय कारणों से उक्त ई–निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

13– नियंत्रणाधिकारी श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय उक्त ई–निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होगे।

14– सफल निविदाकार द्वारा रद्दी उठाने के 7 दिवस में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त रद्दी को Recycle कर दिया है व इसका दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी वापस की जावेगी।

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर